

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. १ /2016 निगरानी विना १९५९ ८१६
 अंग - १८६३ प्र. १६
श्री दुष्यन्त कुमार सिंह
 द्वारा आज दि २०/५/१६ को
 प्रस्तुत

*द्वारा आज दि २०/५/१६ को
 प्रस्तुत*

श्रीमती बबीता सिंह पुत्री रिपुंसदन
 सिंह पत्नी संचीष सिंह उम्र 40 वर्ष,
 निवासी— ग्राम बांधा, तहसील,
 रामपुर बघेलान जिला सतना (म.प्र.)
 हाल मुकाम 149 ई 8 गुलमोहर
 कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

- वैभव सिंह भदौरिया पुत्र श्री एम.एस.
 भदौरिया साकिन बांधा तहसील,
 रामपुर बघेलान जिला सतना (म.प्र.)
- म.प्र. शासनअनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
तहसीलदार रामपुर बघेलान के प्र.क्र.०1A12/15-16 में पारित
आदेश दिनांक 23.03.2016 से परिवेदित होकर

माननीय,

आवेदिका का निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रकरण के तथ्य :—

संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक १ वैभव सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम बांधा की भूमि सर्वे नं. 45, 45, 54 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन दिनांक 28.05.2012 को प्रस्तुत किया उक्त आवेदन से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक ने हल्का पटवारी को सीमांकन आदेश जारी करने के आदेश दिये हैं पटवारी द्वारा उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यवाही करते हुये सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 24.02.2012 को तहसीलदारा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तहसीलदार को प्रस्तुत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक ने आलोच्य आदेश द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करते हुये प्रकरण समाप्त किया।

*श्री दुष्यन्त कुमार सिंह
 एडवोकेट
 म.प्र. उच्च न्यायालय एवं एन्ड बी बोर्ड
 ग्वालियर-३*

*श्री दुष्यन्त कुमार सिंह (राम.)
 कार्यालय महाविवक्ता, ग्वालियर*


अपनी जाति का अपनी जाति का

(५८)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-1563-ट्रै।।।८

जिला - अंतर्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13(8)19 	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...तहसीली बयां रामगढ़ बैठक...के प्रकरण क्रमांक ...।।।१२।।।१५।।।१६..... में पारित आदेश दिनांक २३.३.१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु उम्पिकरण अंतर्ना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...।।।१८।।।१०।।।१९..... को उम्पिकरण अंतर्ना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	